

FORM NO III

फर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

रमेशचन्द

बनाम

पूरण

नम्बर-7 वर्ष:-2025

कचगा- धारा 53, 188 रा0का0अध0

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए

3 यह वाद पत्र चादी की ओर से वकील श्री शांतिलाल डेल ने अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, के तहत पेश किया गया। वाद-पत्र के साथ रजिस्टर दर्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28.03.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

3/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. प्रा. सं. 2 से पक्षे सम्मन P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे है। तामिलशुदा व प्रा. सं. 1 का अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-5-25 को पेश हो। प्रा. सं. 4 की भीर से जवाब पेश किया है।

5/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25-7-25 को पेश हो है।

7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-10-25 को पेश हो है।

25 वादी द्वारा पत्रावली तलब करने व दावा विद्दी करने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। वादी स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई। वादी ने पहचान स्वकप आधार कार्ड सं. 569171947299 की स्व-हस्ताक्षरित प्रति पेश की। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य रजिनामा हो गया है, इसलिए उक्त वाद को आगे

रमेश

रमेश

रमेश

मु. नं. ३/२५ रमेशचन्द्र / पूरण

चलाना नहीं चाहता हूँ

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वादी
व वकील वादी को सुना गया। तदनुसार उक्त
प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद
जरिये विद्रोल खादिज किया जाता है
पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो

क/म
उपखण्ड अधिकारी
झुपनाद (अजमेर)